

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), संप्रति-निलंबित के विरुद्ध दिनांक-05.09.2015 से अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।


4. श्रीमती सिन्हा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर उपायुक्त, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा0प्र0से0, संप्रति-निलंबित एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(दिलीप तिकी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-109/2016 का0- 8073 / राँची, दिनांक 19 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।